

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

सख्या-907/भू-अ0,

दिनांक-17/12/19

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि मौजा-जमालपुर, थाना-बहेड़ा, थाना नं0-423, अंचल-किरतपुर, जिला-दरभंगा में कुल-0.115 एकड़ यानि 0.046 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा, परियोजना- दरभंगा जिला अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY(RE)) के तहत स्वीकृत 33/11 के0भी0 विद्युत उपकेन्द्र किरतपुर (जमालपुर) में पहुँच पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा निम्न है :- यह परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इसके निमित्त भू-अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है। भू-अर्जन के कारण कुल.....X..... परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा-जमालपुर, थाना-बहेड़ा, थाना नं0-423, अंचल-किरतपुर, जिला-दरभंगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.115 एकड़ यानि 0.046 हेक्टेयर मानक माप का भू-खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है।

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)		
							उ0	द0	प0
1	1071	1163	रैयती	दो फसला (भीठ 2)	0.07	सवीर अहमद खॉं जरार अहमद खॉं, ईजहार अहमद खॉं, तारा अहमद खॉं, एजाज अहमद खॉं, पिता-स्व0 मोती एरब खॉं एवं इस्तेयाक अहमद खॉं, पिता-स्व0 रफी अहमद खॉं, ग्राम-जमालपुर			
2	1108	1170, 1171/5897	रैयती	दो फसला (भीठ 2)	0.045	खालिद खॉं, तारिक खॉं, जावेद खॉं, बौआ खॉं, पिता-स्व0 मुर्तुजा खॉं, ग्राम-जमालपुर			
				कुल	0.115				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन

यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

- १० -
समाहर्ता, दरभंगा
-सह-
समुचित सरकार।

ज्ञापांक..... १०५ / भू-अ०. दिनांक. 17/12/19....

- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, किरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश है कि दरभंगा के वेवसाईट पर इसे अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय परियोजना अभियंता, बि०रा०पु०नि०लि० दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू-अर्जन के वेवसाईट पर अपलोड कराने एवं स्थानीय भाषा में दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

समाहर्ता, दरभंगा
-सह-
समुचित सरकार।